अध्याय प्रथम

शोध परिचय

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1 भूमिका

शिक्षा सर्वांगी विकास की प्रक्रिया है। जिसमें 'ज्ञान का ज्ञान के साथ' सम्बन्ध कराया जाता है और इसी सम्बन्ध को स्थापित करने वाला अध्यापक ही होता है। अध्यापक के लिए यह कहा जाता है कि :–

"यह वह धुरी है जिसके चारों और संपूर्ण शैक्षिक चक्र धुमता है।"

संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्रियाएँ, भवन आदि कितने ही अच्छे क्यों न हो, उनमें गति का संचालन अध्यापक द्वारा किया जाता है। इस के साथ–साथ अध्यापक को राष्ट्र निर्माता की उपाधि से भी विभुषित किया जाता है। उसे मनुष्य का निर्माण कर्ताथी कहा जाता है, तथा वह कहा जाता है कि बच्चों के चारित्र निर्माण एवं दृष्टिकोण निर्माण में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आज वर्तमान युग में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन आया है, आज शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार हो रहा है। आधुनिक विश्व तथा उसके क्रिया कलापों की जानकारी तथा प्रजातन्त्र के लिए सुयोग्य नागरिकों के निर्माण भी अध्यापकों का उत्तर दायित्व है। आधुनिक समय में शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिऐ अध्यापक–प्रशिक्षण

आवश्यक माना जाता है। अध्यापन कार्य के प्रति अभिगम के कारण वह शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य एवं नवीन प्रयासो के प्रति जागरूक रहता है।

आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशिक्षणार्थियों में शैक्षिक अभिवृत्तियों का निर्माण कर प्रशिक्षण के प्रति जागरूक कर उसे प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए।

1.2 अध्यापक–प्रशिक्षण की पृष्ठ भूमि

अध्यापक–प्रशिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाये तो भारत में इनका विकास प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। इस में समय–समय के साथ परिवर्तन होते रहे है।

➢ प्राचीन काल

प्राचीन काल में प्रशिक्षण–शिक्षा व्यवहार गुरू–शिष्य के विच में होता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मण वर्ग के हाथो में शिक्षा दिक्षा की डोर थी। उस समय शिष्यों में से अग्रिम छात्र (शिष्य) अथवा 'कक्षा नायक' शिक्षण विधियों तथा आश्रम (विद्यालय) संचालन में प्रशिक्षित हो जाया करता था। इस काल में शिक्षा प्रशिक्षण विधि मुख्य रूप से 'करके सीखना' को अपनाया जाता था।

➢ मुस्लिम काल

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में मुसलमानों का काल 'शैक्षणिक अंधकार' के नाम से जाना जाता था। 'अध्यापक-प्रशिक्षण' नाम की योजना मुस्लिम शिक्षा में नही थी। इस काल के मुस्लीम शासक धर्म के प्रचार में ही लगे रहे थे। धर्म की प्रधानता ही शिक्षा के उद्देश्य में निहीत थी। उस समय अकबर के राज्य में तथा मद्रेसा धार्मिक गुरूओं तथा मौलवियो के द्वारा चलाये जाते थे।

➢ ब्रिटिश काल

अध्यापको के प्रशिक्षण व शिक्षा के प्रसार व विकास की दृष्टि से ब्रिटिश काल को तीन भागों में बांटा जा सकता है :-

1. 1800-1857 में शिक्षक-प्रशिक्षण
2. 1858-1902 में शिक्षक-प्रशिक्षण
3. 1903- 1946 में शिक्षक- प्रशिक्षण

(1) शिक्षक प्रशिक्षण- 1800- 1857

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ही अंग्रेजी मिशनरियाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी। पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा पादरियों की प्रशिक्षित करने के लिये चल रहे थे। 1816 में 'कलकता स्कुल' सोसायटी द्वारा स्कूल के शिक्षकों का प्रशिक्षण आरंभ किया गया। 1924 में सहास स्कूल बुक

सोसायटी कमेटी ने शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए स्कूल आरंभ करने का प्रस्ताव रखा। कलकता महिला परिषद ने महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का प्रबन्ध सेंन्ट्रल गर्ल्स स्कूल' में किया। 1974 में प्रथम नार्मल स्कूल की स्थापना कलकता में बाद में आगरा (1852) मेरठ (1856), तथा बनारस (1857) में हुई।

1854 में वृत्त के घोषणा पत्र द्वारा कंपनी संचालकों में प्रथम बार पर स्वीकार किया की भारत में भी इग्लेण्ड में प्रचलित अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनाया जाये।

(2) शिक्षक प्रशिक्षण-1858-1902

सन् 1881-82 में 106 से अधिक नार्मल स्कूल देश भर में चल रहे थे। उस समय 'भारतीय शिक्षा (हन्टर आयोग) आयोग'' ने प्रथम बार प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित प्रशिक्षण के संबन्ध में अन्य नार्मल स्कूलों की स्थापना, उनके लिऐ धन राशि, विभिन्न-पाठ्यक्रम आदि के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे।

हन्टर कमीशन (मा.शि.आ.) के आवेदन के 5 वर्ष के पश्चात् ही समस्त देश में प्रशिक्षण महाविद्यालयों का विकास हुआ। अनुदान, नियुक्ति तथा परीक्षा संबंधी नियमों को कड़ा बना दिया गया। सन 1901-02 में देश भर में पुरूषों के लिए 133 नार्मल स्कूल थे तथा महिला के 46 थे।

(3) शिक्षक– प्रशिक्षण– 1903–1947

1903 से 1947 तक का शिक्षक–प्रशिक्षण का विकास एक अनचाहे शिशु (बालक) का सा हुआ है। परन्तु भारत सरकार द्वारा पारित 1904 के 'भारतीय शिक्षा–नीति प्रस्ताव' में प्रशिक्षण के गुणात्मक विकास पर अधिक जोर दिया गया। 1912 में सरकार ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि प्रशिक्षण के बिना किसी अध्यापक को न पढ़ाने दिया जाये।

कलकता यूनिवर्सिटी कमीशन (1916) ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर शोध, प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि, प्रदर्शन विद्यालयों का प्रशिक्षण विद्यालयों के साथ संलग्न किया जाना, इण्टर, बी.ए. के पाठ्यक्रम में शिक्षा विषय को स्थान देना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना आदि प्रमुख व महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

➢ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षक–प्रशिक्षण

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् डॉ. राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय– शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम में सुधार, उपयुक्त विद्यालय, एम.एड. जैसी डिग्री के लिये प्रोत्साहित किया।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके उनके लिए 2 वर्ष एवं स्नातक प्रशिक्षणार्थी के लिए

1 वर्ष किन्तु बाद में दो वर्ष कर दिये जाऐ तथा कार्यशाला में व्यवहारिक, निःशुल्क, छात्रवृत्तियाँ, परिवर्तन पर छुटी तथा शिक्षकों के अभाव की पूर्ति के लिए अंशकालिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये।

1.3 शिक्षा आयोग

(कोठारी आयोग के सुझाव)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में शैक्षिक स्तर उचा लाने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों की रचना हुई, इन आयोगो में कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव दिये है जो निम्नस्थ है।

कोठारी आयोग के सुझाव :–

- प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में 'प्रसार सेवा विभाग' की स्थापना की जाए।
- प्रत्येक राज्य में एक विस्तृत महाविद्यालय की स्थापना की जाए, जिसमें विभिन्न स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो।
- प्रत्येक राज्य में शिक्षक–प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की जाए।
- शिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रमों की दशा और विषय सामग्री को परिवर्तित किया जाए।
- शिक्षण संस्थाओं में छात्रों से शुल्क न लिया जाये, तथा उनके लिए छात्रवृत्तियों और ऋण की व्यवस्था की जाये।

1.4 प्रशिक्षण

सन् 1911 में लन्दन में रोजगार विभाग द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण के कठिन शब्द की सूची में इस शब्द को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, एवम् इसकी व्याख्या की गई है। इन कठिन शब्द को सूची में प्रशिक्षण शब्द को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

"किसी दिये गये कार्य के उचित ढंग से सम्पादित करने के लिये किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण (अभिवृत्ति) ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार के क्रमबद्ध विकास का नाम प्रशिक्षण हैं।"

वस्तुतः किसी कार्य के उचित सम्पादन के लिये आवश्यक विशिष्ट ज्ञान, अभिवृत्ति कौशल एवं व्यवहार के विकास पर प्रशिक्षण बल देता है। यह व्यवहार एक कार्य से दूसरे कार्य के लिये अलग–अलग होता है। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करते है तो हम उन कौशलों का विकास करते है, जो उस व्यक्ति के लिये एक अच्छा शिक्षक होने के लिये आवश्यक है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी व्यवसाय विशेष में निपुर्णता प्राप्त करना है, उसके लिये व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण का सम्बन्ध अधिगम से होता है ताकि कार्य का सम्पादन उचित प्रकार से विशिष्टता के साथ किया जा सके।

1.5 शिक्षक– प्रशिक्षण

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करना है, जो उन्हें उन सामाजिक परम्पराओं एवं विचारों का बोध कराए, जो उस समाज को प्रभावित करते है, साथ ही साथ दूसरी संस्कृतियों, प्राकृतिक नियमों का ज्ञान कराये तथा उनमें भाषाकीय ज्ञान एवं अन्य कौशलों को विकसित कर सके जो कि अधिगम तथा व्यक्तिगत विकास और सृजनात्मकता का आधार है। अतः बच्चों को इस शिक्षा देने का काम शिक्षक करता है। बालकों में इसी शिक्षा श्रवण, प्रवृत्तियों या दृश्य माध्यमों से ग्रहण करते है तथा इसके लिए अलग–अलग कौशल्यों का सहारा लिया जाता है।

अतः शिक्षकों में ऐसी तकनीके कौशल्यों का विकास करना जरूरी होता है। इसलिये उसे शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण केवल कथन अथवा विषय वस्तु का ज्ञान दूसरों को प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में शिक्षण का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का समस्त विकास है, लेकिन कुछ वस्तुए ऐसी है जिन्हें अध्यापकों द्वारा बताया जाना चाहिए, जैसे अध्यापक का दायित्व और कर्तव्य। ये वस्तुएँ या कौशल अथवा अभिवृत्ति सभी विकसित हो सकती है, जबकि उसे क्रमबद्ध प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रकार इन कौशलों एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति के लिये प्रणालीबद्ध ज्ञान को शिक्षक प्रशिक्षण कह सकते है।

1.6 शिक्षक– प्रशिक्षण की आवश्यकता

- शिक्षक– प्रशिक्षण से व्यवसायिक जागरूकता तथा दक्षता प्राप्त होती है।
- मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वे छात्रों की रूचि, स्तर व योग्यतानुसार व्यवहार करते है।
- प्रशिक्षण से व्यवसायिक कुशलता बढती है, अर्थात् शिक्षक विभिन्न विधियों, युक्तियों तथा प्रविधियों से परिचित हो जाते है।
- रचनात्मकता तथा सृजनात्मक्ता का गुंण विकसित हो जाता है।
- प्रशिक्षण से बालकों के प्रति एक नये प्रकार का रुख उत्पन्न हो जाता है।
- शिक्षा में मनोरंजन, रूचि तथा क्रिया शीलता का समावेश हो जाता है।
- प्रशिक्षण से अध्यापन कार्य की और रूचि उत्पन्न हो जाति है, तथा आत्मविश्वास जाग्रत होता है।

1.7. अभिवृत्ति

अभिवृत्ति (Attitude) रुख, मनोवृत्ति, आदि शब्दो से जानी जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के मन में उस चीज वस्तु या व्यक्ति के प्रति एक विशिष्ट दिशा हो जाती है।, यही मनोदशा, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति

कही जाती है। अभिवृत्ति की प्रेरणा से व्यक्ति अनेक कार्य के लिए अभिप्रेरित होता है।

अभिवृत्ति एक मानसिक तत्परता है। जिसका विकास व्यक्ति के मानस में धीरे–धीरे हुआ करता है। इनका संगठन व्यक्ति द्वारा अर्जित अनुभवों से होता है और इस संगठित अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्ति अपना व्यवहार करता है।

अभिवृत्ति प्रत्यक्षीकरण की देन है। व्यक्ति जब कुछ वस्तुओं का प्रत्यक्षी–करण भली प्रकार कर लेता है तो उसके सम्बन्धित में वह कुछ निश्चित धारणाऐं बना लेता है। इन धारणाओं के प्रबल होने पर इन से सम्बन्धीत वस्तु विचार या सिद्धांत के बारे में व्यक्ति की एक मनोदशा बन जाती है और यही मनोदशा अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहलाती है। यह अभिवृत्तियां सकारात्मक या नकारात्मक होती है।

❖ **परिभाषाएँ :–**

- **ओलपोर्टः–** " मनोवृत्ति, प्रत्युत्तर देन की वह मानसिक व स्नायुविक तत्परता से सम्बन्धित अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती है तथा उसके व्यवहार पर निर्देशात्मक तथा गत्यात्मक प्रभाव पडता है।
- **जेम्सड्रेर :–** मनोवृत्ति, रुचि या उद्देश्य की एक स्थायी प्रवृत्ति है जिस में एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रतिक्रिया की तैयारी निहित होती है।

➢ **न्यूकाम्ब :-** एक व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु की और कार्य करने का सोचने का तथा अनुभव करने का उसका पूर्ण विन्यास है।

वस्तुतः देखा जाये तो

➢ *"अभिवृत्ति यानि व्यक्ति का वो मानसिक दृष्टिकोण जो परिस्थिति अनुसार बदलता है तथा व्यवहार को प्रभावित करता है।"*

1.8 शैक्षिक अभिवृत्ति

"प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्तियां यानि प्रशिक्षणार्थियों का शैक्षिक व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण।"

प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्तियों के अन्तर्गत उनके -

➢ अध्यापन व्यवसाय सम्बंधी दृष्टिकोण।

➢ कक्षाध्यापन संबंधी दृष्टिकोण।

➢ शैक्षिक प्रक्रिया संबंधी दृष्टिकोण.

➢ छात्रों संबंधी दृष्टिकोण।

➢ अध्यापक संबंधी दृष्टिकोण।

का समावेश होता है। इनमें विद्यालय के प्रति कर्तव्य परायणता, शैक्षिक कार्यो के प्रति रूचि, नये कौशल और नया ज्ञान जानने और आत्मसात् करने की भावना, छात्रों को पढ़ाने या सीखाने की प्रक्रिया में रूचि तथा अध्यापको के प्रति आदर की भावना का समावेश होता है।

प्रस्तुत अनुसंधान में प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति के अध्ययन का आशय प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक कार्यो के प्रति दृष्टिकोण का मापन करना है, जिनके आधार पर हम उन शैक्षिक मनोवृत्तियों में यथा संभव परिवर्तन कर उसमें शैक्षिक अभिवृत्तियाँ लगाकर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर सके।

1.9 अभिवृत्ति के लक्षण

- अभिवृत्ति का प्रसार असीमित होता है। हमारी पंसद ना पसंद आदी सब बाते अभिवृत्ति के अंतर्गत आती है।
- अभिवृत्ति वस्तुओं के प्रति हमारी स्थिति है– पक्ष में या विपक्ष में।
- अभिवृत्ति में व्यक्तिगत विभेद होते है।
- अभिवृत्ति हमारे व्यवहार का आधार है।
- अभिवृत्ति वातावरण जन्य होती है, न कि जन्म जात।
- अभिवृत्ति पर्याय रूप से स्थायी होती है, पर इसमें परिवर्तन या संशोधन संभव है।
- अभिवृत्ति व्यक्त भी हो सकती है और अव्यक्त भी।

1.10 सामाजिक पृष्ठ भूमि

सामाजिक पृष्ठ भूमि के अन्तर्गत देखा जाऐं तो व्यक्ति का सामाजिक पक्ष जैसे जाति, लिंग, धर्म आदि सामाजिक पक्षों का समावेश होता है। जो बालक को जन्म के साथ मिलता है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। जिनमें बी.एड् प्रशिक्षणार्थियों की लिंग (छात्र एवं छात्राएँ), जाति (ST. SC. OBC तथा Gen.), क्षेत्रिय स्थिति (ग्रामीण एवं शहरी), शैक्षिक योग्यताएँ (स्नातक एवं अनुस्नातक), कॉलेज के प्रकार (शासकीय एवं अशासकीय तथा विषयगत्तबाद (भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान) को लिया गया है।

1.11 शोध अध्ययन की आवश्यकता

कठोपनिषद में लिखा है कि ....

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

(विद्या से हि अमृत्व की प्राप्ति होती है।)

आज का बालक देश का आने वाला कल है। इसलिए बालक जब जन्म लेता है तब वह अपने आस–पास की वातावरण से शिक्षा तो अर्जित करता है, पर विशिष्ट (समाज व्ययोगी, उद्देश्य पूर्ण) शिक्षा के लिए उसे स्कूल में शिक्षक के हाथों में सौंप दिया जाता है। तथा शिक्षक अपनी

योग्यता एवं अभिरूचि के अनुसार बालकों को शिक्षा प्रदान करता है, उन्हें मार्ग दिखाता है, शैक्षिक वातावरण निर्माण करता है।

शिक्षक अपनी शैक्षिक अभिवृत्ति अनुसार वह छात्रों में शिक्षा को विकसित करने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनका जीवन दर्शन भी सैद्धांतिक, आर्थिक, सौदर्यात्मक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक आदि मूल्यों से प्रभावित होता है, यही प्रभाव वह छात्रों में निर्मित करता है।

इस अध्ययन की आवश्यकता को इसलिये चुना क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अध्यापन संबंधी अभिवृत्तियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा तो छात्रों के शैक्षिक विकास की गति मिलेंगी। इन बालकों से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से पूरे राष्ट्र को उज्जवल कर शिक्षा के

उद्देश्य की प्राप्ति होगी, और विद्यया ऽ मृतमश्नुते का सूत्र साकारीत होंगा।

1.12 समस्या कथन

"शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनकी शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन"।

1.13 शोध के उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य करने के पीछे उनके कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों का समावेश किया गया है।

- शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- लिंग के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- जाति (cast) के आधार पर शिक्षक– प्रशिक्षणार्थियों की अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- क्षेत्रिय स्थिति (ग्रामीण एवं शहरी) के आधार पर शिक्षक– प्रशिक्षणार्थियों को अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- शैक्षिक स्तर (स्नातक एवं अनुस्नातक) के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- विषयगत आधार पर शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- कालेज के प्रकार (शासकीय एवं अशासकीय) के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

1.14 शोध की परिकल्पनाऐं

परिकल्पना एक विचार–युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और स्थायी रूप से सही मान लिया जाता है और निरीक्षण व प्रदत्तों के आधार पर, तथ्यों तथा परिस्थिति के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध कार्य को निर्देशन देता है। **–जोन डब्ल्यू.बेस्ट**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शून्य परिकल्पना की गई है–

- शिक्षक– प्रशिक्षणार्थीओं की लिंग के आधार पर उनकी अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
- शिक्षक– प्रशिक्षणार्थीओं की जाति के आधार पर उनकी अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
- शिक्षक– प्रशिक्षणार्थीओं की क्षेत्रिय स्थिति के आधार पर उनकी अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
- शिक्षक– प्रशिक्षणार्थीओं की शैक्षिक स्तर के आधार पर उनकी अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
- शिक्षक– प्रशिक्षणार्थीओं की कॉलेज के प्रकार के आधार पर उनकी अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
- शिक्षक– प्रशिक्षणार्थीओं की विषयों के आधार पर उनकी अध्यापन संबंधी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

1.15 शोध अध्ययन का सीमांकन

➢ **भौगोलिक दृष्टि से-**

भोगोलिक दृष्टि से देखे तो शोध अध्ययन का सीमांकन गुजरात राज्य के दो जिलों–जूनागढ तथा राजकोट तक सीमित किये है।

➢ **व्यक्तिक दृष्टि से –**

व्यक्तिक दृष्टि से देखा जायें तो प्रशिक्षणार्थियों का मानसिक पक्ष में शैक्षिक अभिवृत्ति को चयनित किया गया है।

➢ **शैक्षणिक दृष्टि से –**

शैक्षणिक दृष्टि से देखा तो घर अध्ययन माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षक (बी.एड) तक सीमित रखा गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 150 प्रशिक्षणार्थी को लिया गया है।